भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4536

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

अवसंरचना की मांग के लिए निधि

†4536. श्री कल्याण बनर्जीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सेवा मांगों को पूरा करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए बजट 2025-26 में पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार आवंटित बजट के माध्यम से बड़े पैमाने पर पूंजीगत परियोजनाओं को किफायती आवास, स्वच्छता और सार्वजनिक परिवहन जैसी तत्काल शहरी जरूरतों के साथ संतुलित करती है; और

(ग) सरकार द्वारा, 'सभी के लिए घर' पहल का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर महानगरों में झुग्गी बस्तियों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 243ब के उपबंधों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी एसबीएम-यू 2.0, स्मार्ट सिटीज़ मिशन (एससीएम), प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), शहरी परिवहन (यूटी) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके शहरी विकास एजेंडे में सहायता प्रदान करता है। इन मिशनों/योजनाओं/परियोजनाओं को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन मिशनों के अंतर्गत आने वाले शहरों और कस्बों में जीवन को सुगम बनाने के लिए मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्रीय सहायता शहरी स्थानीय निकायों को नहीं बल्कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत/जारी की जाती है।

बढ़ते शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सहित वित्त के निजी स्रोतों द्वारा सहायता दी जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को सीमित सरकारी संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता के बिना पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाए, शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के साधन के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी को सभी मिशन दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल किया गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

i. अमृत 2.0 दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए अपनी 10% परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में शुरू करना अनिवार्य है।

ii. स्मार्ट सिटीज मिशन 100 स्मार्ट शहरों में पीपीपी परियोजनाओं को बढ़ावा देता है। यदि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली निधि और राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा दिया जाने वाला समतुल्य योगदान परियोजना लागत का केवल एक हिस्सा पूरा करता है, तो यह अपेक्षित है कि शेष निधि पीपीपी सहित अन्य स्रोतों से जुटाई जाए।

iii. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0, शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के विकल्प को प्रोत्साहित करता है, जिसका निर्णय संबंधित राज्य सरकार या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा।

iv. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) 'सभी के लिए आवास' मिशन साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) और स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास घटकों में आवासों के निर्माण के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत निर्मित खाली सरकारी वित्त पोषित आवासों का उपयोग करने और सार्वजनिक/निजी संस्थाओं को, यदि उनके पास खाली जमीन उपलब्ध है तो किफायती किराये के आवास स्टॉक बनाने के लिए निवेश का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 31/07/2020 को पीएमएवाई-यू के तहत एक उप योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) को शुरू किया गया था।

v. मेट्रो रेल नीति 2017 ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) और वैल्यू कैप्चर फाइनेंस (वीसीएफ) के माध्यम से अभिनव वित्तपोषण को संभव बनाती है। यह नीति सार्वजनिक और निजी संसाधनों, विशेषज्ञता और उद्यमिता दोनों का लाभ उठाने के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है। इस नीति के अनुसार, आगामी मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक राज्य सरकार को, जहाँ तक संभव हो, प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन, संचालन

और रखरखाव, किराया संग्रहण या किन्ही अन्य विभाजित गतिविधियों के लिए किसी न किसी रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था की संभावना पर अनिवार्य रूप से विचार करना चाहिए। इसके अलावा, 16 अगस्त, 2023 को शुरू की गई पीएम-ई-बस सेवा योजना का उद्देश्य पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) से शहरी क्षेत्रों में सिटी बस संचालन को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को पूंजी बाजार का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, अमृत के तहत 483 शहरों के लिए क्रेडिट रेटिंग का कार्य सौंपा गया है और 468 शहरों में यह कार्य पूरा हो चुका है। 468 शहरों में से 162 शहरों को निवेश योग्य ग्रेड रेटिंग (आईजीआर) अर्थात् रेटिंग बी (-) और उससे ऊपर की रेटिंग प्राप्त हुई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) शहरी स्थानीय निकायों को प्रति 100 करोड़ रुपये मूल्य के बॉन्ड पर 13 करोड़ रुपये की दर से म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिसमें प्रति यूएलबी अधिकतम 26 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन है। दूसरी बार केवल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की पात्रता है, जिसमें जारी किए गए प्रति 100 करोड़ रुपये मूल्य के बॉन्ड पर 10 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन है, जो अधिकतम 20 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन तक सीमित है। अब तक 13 यूएलबी द्वारा शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड जारी करके 4,984 करोड़ रु. जुटाए गए हैं। प्रोत्साहन के रूप में, अमृत/ अमृत 2.0 के तहत 315.83 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, बजट 2025-26 में, सरकार ने देश में शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 1 लाख करोड़ रु. का शहरी चुनौती कोष स्थापित करने की घोषणा की है। इससे शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के लिए पीपीपी मोड के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को निजी निवेश जुटाने में बढ़ावा मिलना अपेक्षित है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा शहरी गरीबों और स्लम निवासियों सहित कुल 118.64 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 112.73 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 91.50 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, कुल 1.99 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से 1.68 लाख करोड़ रुपये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो को जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देशभर के शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों की सहायता के लिए 01.09.2024 पीएमएवाई-यू 2.0 मिशन की शुरुआत की है। ताकि पात्र लाभार्थी आवास बना, खरीद और किराये पर ले सके।

******